कार्यालय प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल, (म.प्र.) 460001

नेक द्वारा प्रदत्त ग्रेड A+

e-mail : hegjhpgcbet@mp.gov.in

क्रमांक 755 /स्थापना/2024 बैतूल दिनांक 14/07/2024

विज्ञप्ति

उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिला बैतूल के शासकीय महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु निम्नांकित अनुसार विज्ञप्ति जारी की जाती है। इच्छुक उम्मीदवार महाविद्यालय की वेब साईट https://www.jhgovtbetul.com/ के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित विज्ञप्ति की शर्तों का पालन करते हुए अपना आवेदन समस्त दस्तावेजों के साथ विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 21 दिवस तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते है।

क्र.	पदनाम	पद संख्या	वर्ग	श्रेणी
1	प्रयोगशाला परिचारक	01	अनुसूचित जनजाति	लोकोमीटर डिसेबीलिटी जिसमें सम्मिलित है – सेरेब्रल, पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कूलर डिस्ट्राफी (LD)
2	भृत्य	01	अनारक्षित	लोकोमीटर डिसेबीलिटी जिसमें सम्मिलित है – सेरेब्रल, पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कूलर डिस्ट्राफी (LD)
3	चौकीदार	01	अनारक्षित	बहरे और कम सुनने वाले (EH)

प्राचार्य
ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004

E- Mail ID- henongaz@mp.gov.in

क्रमांक 982 /60/न्यू./आउशि/शा.-3/24 भोपाल, दिनांक 12/7/24

प्रति,

समस्त अग्रणी प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय
उच्च शिक्षा, म.प्र. ।

विषय:-दिव्यांगजनों के रिक्त पदों पर वॉक-इन-इंटरव्यू (विशेष भर्ती) के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में ।

संदर्भ:-1. म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 8-2/2013/आप्र/एक, दिनांक 22.02.2014, पत्र दिनांक 30.06.2014, दिनांक 04.01.2024 एवं दिनांक 31.05.2024

2. उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 834/1595754/2020/38-1, दिनांक 29.05.2024 एवं पत्र क्र. 870/1595754/2020/38-1, दिनांक 05.06.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में लेख है कि प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है । इस कार्य हेतु प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सामाजिक न्याय विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा परिशिष्ट-01 एवं 02 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार आपके क्षेत्रांतर्गत समस्त शासकीय महाविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दिव्यांजनों के रिक्त पदों की पूर्ति अराजपत्रित भर्ती नियमों में उल्लेखित प्रावधान अनुसार करें। महाविद्यालयों में दिव्यांजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन के प्रकाशन संबंधी कार्यवाही 15.07.2024 तक पूर्ण करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार
(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

A Agrawal
(डॉ. अजय अग्रवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 983 /60/न्यू./आउशि/शा.-3/24 भोपाल दिनांक - 12/7/24

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय भोपाल ।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
4. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।

A. Agrawal
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट -1

निर्धारित समिति

1.	नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी	- प्रदेश स्तर पर्यवेक्षक
2.	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक	- संभागीय पर्यवेक्षक
3.	प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय	- जिला मुख्यालय, अध्यक्ष
4.	प्राचार्य संबंधित शासकीय महाविद्यालय	- सदस्य (नियोक्ता)
5.	प्रत्येक महाविद्यालय के 02 प्राध्यापक,	- सदस्य
6.	सामाजिक न्याय विभाग (उप संचालक)	- विशेष आमंत्रित सदस्य

शैक्षिणक योग्यता/अर्हता

1	सहायक ग्रेड-3	1. हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। 2. निम्नांकित संस्थाओं में से किसी एक संस्था/विश्वविद्यालय से 01 वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अनिवार्य है:- (क) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी./नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफारमेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (घ) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। (ड) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेट (COPA) प्रमाण-पत्र। उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी:- उपरोक्त निर्दिष्ट संस्थाओं से बी.ई.(सी.एस.ई. / आई.टी.) / एम.सी.ए. / बी.सी.ए. / एम.एस.सी.(आई.टी. / सी.एस.) बी.एस.सी. (आई.टी. / सी.एस.) एम.टेक. / एम.ई. इत्यादि। अथवा ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलिटेनिक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लिकेशन एवं इंफारमेशन टेकनोलॉजी। टीप :- बी.एस.सी./बी.कॉम/अन्य उपाधियां जिनमें केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगी। 3.म.प्र. शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रमाणिकरण दक्षता परीक्षा (CPCT) हिन्दी टायपिंग 20 शब्द प्रतिमिनट अथवा उससे अधिक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
2	प्रयोगशाला परिचारक	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण,
3	भृत्य	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण
4	अन्य चतुर्थ श्रेणी	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नियमानुसार

आवश्यक नियम एवं निर्देश :-

1. आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण पत्र की स्वंय सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित है ।
4. आवेदक का म.प्र. में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
6. साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है।
7. संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा, ऐसे दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है वे अपात्र मान्य किये जावेंगे तथा साथ ही यू.डी.आई.डी. से जारी दिव्यांगता डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
8. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
9. जिस आवेदक को 02 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उससे पश्चात हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
10. साक्षात्कार से पूर्व संबंधित पद की समस्त अर्हता/योग्यता आवेदक के पास होना आवश्यक है।
11. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा भोपाल के पास सुरक्षित होगें।
12. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 17/07/2014 के अनुसार नि:शक्तजनों की नियुक्ति के पश्चात् एवं उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से नि:शक्तता प्रमाण पत्र का परिक्षण कराया जाये ।
13. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक बधिर श्रेणी के नि:शक्तजनों की शासकीय भर्ती से पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) कराना अनिवार्य है।
14. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.4 के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाये, यह स्पष्ट किया गया है कि वॉक-इन-इंटरव्यू से आशय साक्षात्कार के लिए पृथक से अंक दिये जाने की आवश्यकता नहीं है । उच्च शिक्षा विभाग के रिक्त पदों के लिए नियमों में उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता के आधार पर मैरिट सूची बनायी जाकर पद पूर्ति की जायें।
15. इस विशेष भर्ती अभियान में सामान्य प्रशासन विभाग एवं मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के समय-समय पर जारी नियम एवं निर्देश लागू किये जावेंगे।

परिशिष्ट-02

आवेदन पत्र का प्रारूप

नवीन कलर पासपोर्ट फोटो

प्रति,

प्राचार्य ,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय
मध्यप्रदेश।

1. आवेदित पद का नाम .....
2. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम .....
3. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम .....
4. जन्म तिथि (10+2 प्रमाण पत्र के आधार पर) : वर्ष ..... माह ..... दिन .....
5. वर्ग(OBC/ SC/ ST/ EWS/ UR) .....
6. यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण पत्र के अनुसार विवाह दिनांक .....
7. जीवित बच्चों का विवरण .....
8. स्थाई पता .....
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम.....
   .....
10. शैक्षणिक योग्यता(कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड की जानकारी सहित)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	प्राप्तांक	श्रेणी

11. अतिरिक्त विशेष योग्यता/अनुभव यदि हो तो .....

12. उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी प्रमाण पत्र की छायाप्रति अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करें ।

संलग्न :- प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति ।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

//घोषणा पत्र//

मै घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा गई है । वह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णत: सत्य है। जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त माना जावेगा।

स्थान :-

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

.....

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

888

क्रमांक एफ 8–2/2013/आप्र/एक. भोपाल, दिनांक 22 फरवरी, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः–अवमानना प्रकरण क्र. 274/2013 में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की विशेष भरती अभियान के तहत् समय–सीमा में पूर्ति बाबत्।

संदर्भः–सा.प्र.वि. का परिपत्र क्र. एफ 8–5/2004/आ.प्र./एक. दिनांक 31 मार्च, 2005 तथा क्र. एफ 6–1/2002/आ.प्र./एक. दिनांक 10.07.2013.

––0––

माननीय उच्च न्यायालय, इंदौर खंडपीठ द्वारा अवमानना प्रकरण क्रमांक 274/2013 नीलेश सिंघल एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में दिनांक 28.11.2013 में निःशक्तजनों, विशेषकर दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित के पदों की पूर्ति न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए दिनांक 30 जून, 2014 तक निःशक्तजनों के आरक्षित पदों पर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत निःशक्तजनों को रोजगार देकर न्यायालय को 01 जुलाई, 2014 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से निःशक्तजनों के आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु विशेष भरती अभियान प्रारंभ किया गया था। इस अभियान की समय–सीमा समय–समय पर बढाई जाती रही है और परिपत्र दिनांक 10 जुलाई, 2013 द्वारा पुनः यह समय–सीमा दिनांक 30 जून, 2014 तक एक वर्ष के लिए बढाई गई है।

3/ उल्लेखनीय है कि सभी विभागों में निःशक्तजनों के लिए पदों का चिन्हांकन कर अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अतः समस्त विभागों/विभागाध्यक्षों तथा नियोक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि निःशक्तजनों के आरक्षित पदों की पूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाए। यह कार्यवाही समय–सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति के लिए स्थापना के माध्यम से भरती करने की शर्त से छूट प्रदान करते

हुए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से पदों की पूर्ति की जाए। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :

(1) समस्त नियोक्ता अपने क्षेत्राधिकार में निःशक्तजनों के आरक्षित पदों को वाक इन इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति करें।

(2) इसके लिए समस्त नियोक्ता दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करेंगे। इसके अलावा अपने जिले के जिला रोजगार कार्यालय को सूचित करने के साथ ही निःशक्तजनों के लिए संचालित विशेष रोजगार कार्यालय, जबलपुर को भी पत्र लिखकर पदों की जानकारी, उनकी योग्यता, पदों की संख्या एवं निःशक्तता की श्रेणी के साथ ही वाक-इन-इंटरव्यू की तिथि/समय/स्थान से अवगत कराएंगे।

(3) उक्त रोजगार कार्यालयों का यह दायित्व होगा कि वह उनके कार्यालय में पंजीकृत ऐसे निःशक्तजनों को पत्र भेजकर अवगत कराएं जो संबंधित पदों की योग्यता रखते हैं।

(4) लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों/संवर्गों में निःशक्तजनों के आरक्षित पदों को वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से संविदा आधार पर ही नियुक्ति दी जाए। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष के लिए की जाए तथा नियुक्ति आदेश में यह भी टीप अंकित की जाए कि यह पद मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं अतः इस पर नियमित नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के तहत् लोक सेवा आयोग से चयन उपरांत ही हो सकेगी।

(5) विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन एवं रेडियो के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित निःशक्तजनों को इसकी जानकारी मिल सके।

(6) जो पद तीनों श्रेणियों के निःशक्तजनों के लिए आरक्षित है, उनमें सर्वप्रथम दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित निःशक्तजनों के पदों की पूर्ति हेतु प्राथमिकता दी जाए।

(7) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निःशक्तजनों के लिए चलाये जा रहे विशेष भरती अभियान में सभी प्रवर्ग के पदों की पूर्ति की जाना है, निःशक्तजनों के पदों की पूर्ति हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है।

(8) जो निःशक्तजन नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण कर लेते है, उनकी सूचना संबंधित रोजगार कार्यालयों को देने की जिम्मेदारी नियोक्ता एवं संबंधित अभ्यर्थी की भी होगी।

(9) समस्त नियोक्ता उपरोक्तानुसार पदों की पूर्ति 30 मई, 2014 तक पूर्ण कर निःशक्तजनों के भरे गये पदों की जानकारी अपने विभागाध्यक्ष को देंगे तथा विभागाध्यक्ष अपने विभाग (मंत्रालय) को जानकारी निर्धारित प्रपत्र में देंगे। इस आधार पर समस्त विभाग एकजाई जानकारी दिनांक 15 जून, 2014 तक सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

(10) समस्त रोजगार कार्यालय दिनांक 15 जून, 2014 तक उनके कार्यालय में पंजीकृत निःशक्तजनों में से कितने अभ्यर्थियों को रोजगार प्राप्त हुआ, इसकी जानकारी (तीनों श्रेणी के निःशक्तजन सहित) सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेंगे।

4/ उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यदि कोई विभाग इन निर्देशों के पालन करने में कोताही करता है तो वह माननीय न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होगा, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी, 2014

पृष्ठ क्रमांक एफ 8--2/2013/आप्र/एक.

प्रतिलिपिः--

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
4. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
6. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
10. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
13. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
16. आयुक्त, उद्योग, विंध्याचल भवन, भोपाल।
17. आयुक्त, सामाजिक न्याय, 1250, तुलसी नगर, भोपाल।
18. आयुक्त, निःशक्तजन, कम्युनिटी हॉल, न्यू मार्केट, टी.टी. नगर, भोपाल।
19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
20. उप संचालक, विशेष रोजगार कार्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
21. समस्त जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय, मध्यप्रदेश।
22. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सा.प्र.वि. अभीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

विशेष अभियान
प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ–8–2/2013/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 30 जून, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– अवमानना प्रकरण क्रमांक 274/2013 नीलेश सिंघल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन– निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22 फरवरी, 2014 एवं 21 मई, 2014.

:::::

अवमानना प्रकरण में न्यायालयीन निर्णय के परिपेक्ष्य में संदर्भित विभागीय परिपत्र दिनांक 22.02.2014 एवं 21.05.2014 द्वारा निःशक्तजनों के पदों की पूर्ति हेतु चलाये जा रहे विशेष भरती अभियान के तहत वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से दिनांक 14 अगस्त, 2014 तक करने के निर्देश जारी किये गये है। सामाजिक न्याय विभाग की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया है कि अनेक विभाग/कार्यालय द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के आरक्षण के आधार पर विज्ञापित किए जा रहे हैं, जबकि निःशक्तजनों का आरक्षण वर्गवार नहीं होता। निःशक्तजन किसी भी वर्ग का हो सकता है।

2/ इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि निःशक्तजनों के लिए 06 प्रतिशत हॉरिजेण्टल आरक्षण दिया गया है और उसमें भी अस्थि बाधित, दृष्टि बधित एवं श्रवण बाधित के लिए 02–02 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 31 मार्च, 2005 जारी करते हुए पूर्व में आरक्षित किए गए रोस्टर के बिन्दुओं को निरस्त करते हुए तीन खण्ड

बनाये गये हैं। अतः निःशक्तजनों के जो भी पद विज्ञापित किए जाए वह वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थि बाधित/दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित) हो। इस प्रकिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होंगे, उन्हें रोस्टर में संबंधित वर्ग के रिक्त बिन्दुओं पर अंकित किया जाएगा। हॉरिजेण्टल आरक्षण में वर्गवार प्रतिनिधित्व देना आवश्यक नहीं है, किन्तु वर्टीकल आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के आरक्षण को बनाये रखना आवश्यक है। इसमें कोई भी आरक्षित वर्ग के पद को किसी अन्य श्रेणी से भरने की अनुमति नहीं है।

3/ निःशक्तजनों के जिला स्तरीय संवर्ग के पदों की पूर्ति करने हेतु चयन समिति में सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक को और राज्य स्तरीय पदों की चयन समिति में संचालनालय, सामाजिक न्याय के अधिकारी को शामिल किया जाए।

4/ उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ–8–2/2013/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 30 जून, 2014

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
5. अध्यक्ष, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, भोपाल।

11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
13. पुलिस महानिरीक्षक (चयन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
14. आयुक्त, निःशक्तजन मध्यप्रदेश, कम्युनिटी हॉल, न्यू मार्केट, टी. टी.नगर, भोपाल ।
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
16. आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, तुलसी नगर, भोपाल।
17. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल।
18 अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण/अभिलेख शाखा, मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक एफ 7-19/2019/आ.प्र./एक

प्रति,

भोपाल, दिनांक 31 / 5 /2024

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत मध्यप्रदेश।

विषय - WP No. 7275/2019 National Federation of the Blind MP Branch विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य।

संदर्भ - इस विभाग का समयंख्यक पत्र दिनांक 14.02.2024

:::::::::::::

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP No. 7275/2019 National Federation of the Blind MP Branch विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक **30** जनवरी **2024** के परिपालन में दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग के पदों सहित चिन्हांकित किये गये रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित समय-सीमा 15 जुलाई 2024 का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है।

2. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त याचिका में दिये गये निर्देशों के परिपालन में लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचर संहिता की समाप्ति के उपरांत दिव्यांगजनों के रिक्त पद की पूर्ति हेतु निम्नानुसार बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2.1 सीधी भरती के स्वीकृत नियमित / संविदा पदों के विरूद्ध दिव्यांगजनों को 6% के मान से दिव्यांगता की चार श्रेणियों में 1.5%-1.5% के आधार पर समान रूप से पदों का चिन्हांकन किया जाए।

2.2 ऐसे विभाग जिसमें संवर्गवार/श्रेणीवार पद कम चिन्हांकित है, वहाँ दिव्यांगजनों के पदों का चिन्हांकन संवर्गवार/श्रेणीवार किया जाए। (विभागवार जानकारी परिशिष्ट 'अ' अनुसार संलग्न)।

2.3 दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग के पदों सहित चिन्हांकित किये गये रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जाए।

2.4 मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ 8-2/2013/आप्र/एक दिनांक 22 फरवरी 2014 एवं दिनांक 04.01.2024 द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार विशेष भरती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि वॉक-इन-इंटरव्यू से आशय साक्षात्कार के लिए पृथक से अंक दिये जाने की आवश्यकता नहीं है, संबंधित विभाग रिक्त पद के लिए नियमों में उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाकर पद पूर्ति की कार्यवाही की जाए। 22 फरवरी 2014 की कंडिका 3(1) से 3(10) का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।

2.5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 34(2) के प्रावधानुसार भरती वर्ष में यदि दिव्यांग के लिए चिन्हांकित पद पर संबंधित दिव्यांगता में उपलब्ध उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है ऐसी स्थिति में उक्त रिक्ति आगामी भरती वर्ष में केरी फोरवर्ड (Carry Forward) होगी तथा आगामी वर्ष में भी संबंधित दिव्यांगता में उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों में परस्पर अदला-बदली की कार्यवाही की जा सकती है और केवल जब उक्त वर्ष में भी पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता किसी दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भर सकेगा।

2.6 शासकीय सेवाओं में जिन दिव्यांगजनों का चयन हुआ है, उनके दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की जांच नियुक्ति आदेश के बाद उनके कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से अनिवार्यतः कराई जाए।

2.7 मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) अनिवार्य किया जाए।

2.8 दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकित पदों की पूर्ति हेतु जारी किये जाने वाले विज्ञापन एवं तद् उपरांत पदपूर्ति की प्रविष्टि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रपत्र-10 एवं प्रपत्र-11 में एन्ट्री अनिवार्य रूप से करने का कष्ट करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 7-19/2019/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 31/5/2024

प्रतिलिपि-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. अध्यक्ष, म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल/ अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/ सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश।
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर / इंदौर/ग्वालियर।
13. पुलिस महानिरीक्षक (चयन), पुलिस मुख्यालय भोपाल।
14. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
15. आयुक्त, जनसम्पर्क मध्यप्रदेश भोपाल।
16. आयुक्त निःशक्तजन मध्यप्रदेश।
17. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण/अभिलेख शाखा, मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 04/01/2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म0प्र0

विषय:- दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति Walk-in-interview के माध्यम से किये जाने बावत।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22.02.2014, 21.05.2014, 10.09.2014, 16.01.2015, 29.04.2015, 01.08.2015, 06.10.2015, 06.01.2016, 31.03.2016, 06.08.2016, 17.01.2017, 31.07.2017, 20.07.2018, 26.07.2019, 02.07.2020, 25.06.2021, 04.07.2022 एवं दिनांक 05.01.2023

--0--

मान. न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 22.02.2014 द्वारा दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति, विशेष भर्ती अभियान के तहत वॉक-इन-इंटरव्यु के माध्यम से किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। तत्पश्चात समय-समय पर उक्त समय-सीमा में वृध्दि की जाती रही है। संदर्भित परिपत्र दिनांक 05.01.2023 द्वारा वॉक-इन-इंटरव्यु से पदपूर्ति की समय-सीमा दिनांक 31.12.2023 तक निर्धारित की गई थी।

2/ राज्य शासन के ध्यान में आया है कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति अभी तक नहीं हो पायी है। अतः विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के आरक्षित पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यु के माध्यम से किये जाने की समय-सीमा दिनांक 31.12.2024 तक बढ़ाई जाती है।

3/ समस्त विभाग/कार्यालय उक्त समय-सीमा में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए उसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को दिनांक 20.01.2024 तक संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः- प्रपत्र

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(गिरीश शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 834 /1595754/2020/38-1 भोपाल, दिनांक 29 /05/2024

प्रति,

1. आयुक्त,
   उच्च शिक्षा संचालनालय,
   सतपुडा भवन, भोपाल।

2. समस्त कुलसचिव,
   विश्वविद्यालय, म.प्र.।

विषयः-रिट पिटीशन क्रमांक 7275/2019 नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ब्रांच विरूद्ध मप्र शासन।

* * *

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्लयू.पी. 7275/2019 National federation of the blind MP branch विरूद्ध शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30 जनवरी, 2024 के संबंध में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में आयोजित बैठक दिनांक 27.05.2024 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दिव्यांगों के रिक्त पदों पर नियमित/संविदा के माध्यम से 30 जून तक भर्ती प्रक्रिया अनिवार्यतः प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः निर्देशानुसार विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त दिव्यांगों के पदों की पूर्ति हेतु नियमानुसार 30 जून तक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

29-5-24

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय
आयुक्त, उच्च शिक्षा
31 MAY 2024
OSD
आयुक्त

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 870 /1595754/2020/38-1 भोपाल, दिनांक 5 /06/2024

प्रति,

1. आयुक्त,
   उच्च शिक्षा संचालनालय,
   सतपुड़ा भवन, भोपाल।

2. समस्त कुलसचिव,
   विश्वविद्यालय, म.प्र.।

विषयः-रिट पिटीशन क्रमांक 7275/2019 नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ब्रांच विरूद्ध मप्र शासन।

संदर्भः-1. विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.05.2024

2. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पत्र क्रमांक 802/1857412/24/26-1, दिनांक 30.05.2024

* * *

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र.1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्लयू.पी. 7275/2019 National federation of the blind MP branch विरूद्ध शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30 जनवरी 2024 के अनुक्रम में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दिव्यांगो के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया 30 जून, 2024 तक प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2/ संदर्भित पत्र क्रमांक-2 द्वारा उक्त प्रक्रिया दिनांक 15.07.2024 तक पूर्ण किए जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए है। अतः विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त दिव्यांगों के पदों की पूर्ति हेतु समस्त कार्यवाही दिनांक 15.07.2024 तक पूर्ण की जाना सुनिश्चित करें।

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग